



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

फैक्स- 011- 25846462

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-

238027

e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक के०रा०फा०/सरदारगढ/उद्यान/4-2/2015-16

दिनांक: 04.02.2016

अल्पकालिन निविदा-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के खण्ड चार व पांच में दीर्घकालिकयोजना के अंतर्गत 8646 पौधों का रोपण करना है। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 11.02.2016 सांय 3:00 बजे को निविदा खुली बोली में पौधा रोपण के कार्य हेतु मुख्य कार्यालय में भाग ले सकते हैं। बोली में सम्मिलित होने हेतु धरोहर राशि निम्नवत होगी। निविदा शुल्क रु 100/- अलग से देना होगा।

क्रम संख्या	खण्ड	पौधों की अनुमानित संख्या	धरोहर राशि (रुपये में)
1	4	3229	3000/-
2	5	5417	4000/-

धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सरदारगढ के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी। एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड के लिए बोली दे सकता है। बोली उचित नहीं आने पर दिनांक 15.02.2016 को पुनः सांय 3:00 बजे की जावेगी। पौधे ठेकेदार को फार्म नर्सरी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय से 04.02.2016 के बाद किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।

(उद्यान अधिकारी)

कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

फैक्स- 011- 25846462

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – directorcsfsrc@gmail.com

क्रमांक के०रा०फा०/सरदारगढ़/उद्यान/4-2/2015-16

दिनांक: 04.02.2016

फार्म में दीर्घकालिकपौधे लगाने की नियम व शर्तें—

1. निविदा/खुली बोलीमें भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा—खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण—पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता को एक ही खण्ड के लिए पौधे लगाने के लिए बोली देनी होगी। बोली में सम्मिलित होने हेतु धरोहर राशि निम्नवत होगी—

क्रम संख्या	खण्ड	पौधों की अनुमानित संख्या	धरोहर राशि (रुपये में)
1	4	3229	3000 /—
2	5	5417	4000 /—

धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड”, सरदारगढ़ के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी।

3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता को बोली में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि चेक द्वारा लौटा दी जावेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनकव पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी तथा फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
4. सफल बोलीदाता को फार्म के नाले—खाले, बट व माइनर के साथ 1x1x1 फीट के गड्ढे खोदकर, गड्ढों को भरकर पौधे लगाना, थाला बनाना कम से कम 5 लीटर पानी डालना व उनकी देख—रेख 3 माह तक करना, इन 3 माह के अंदर एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देना व पौधों की देखभाल करने का कार्य करना होगा।

5. ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे— पौधे ढोने के लिए वाहन, कस्सी, टैंकर इत्यादि लाने होंगे, फार्म केवल विशिष्ट संतति उद्यान/ पौधशाला से पौधे उपलब्ध करायेगा।
6. खण्ड में चक प्रभारी व हैड गार्ड की देख-रेख में यह कार्य करना होगा। कार्य आदेश मिलने के एक माह के अंदर कार्य पूरा करना होगा। बिल का भुगतान चक प्रभारी द्वारा पौधों की गिनती करके भुगतान किया जावेगा जिसके लिए पैन कार्ड व बैंक खाता होना अनिवार्य है। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान-माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। श्रमिकों का टैक्स आदि लगाना होगा तो ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
7. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।
8. फार्म निदेशक को बोली निरस्त या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. अगर कोई ठेकेदार कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर जाता है तो इस कार्य को द्वितीय ठेकेदार से करवा लिया जावेगा। अगर इस पर फार्म को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से कर ली जावेगी। कार्य आदेश मिलने से पौधे लगाने का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करना होगा।
10. ठेकेदार को रुपये 100/- मात्र के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा। यह कार्यादेश मिलने के 7 दिन के अंदर अनुबंध करना होगा।
11. दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा प्रदान किये जाने वाले रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
12. ठेकेदार को जीवित पौधे लगाने व एक बार पानी डालने का कार्य पूर्ण व संतोषजनक करने पर बिल का भुगतान प्रति पौधे के हिसाब से जो भी दर होगी उसका 30% भुगतान कर दिया जायेगा एवं शेष 70% राशि का भुगतान पौधे लगने के 3 माह बाद 90% जीवित पौधे होने पर कर दिया जायेगा। अगर जीवित पौधों की संख्या 90% से कम होती है तो ठेकेदार से उसी के अनुपात में पौधे की कीमत व लगाई की कीमतकी भरपाई अंतिम बिल से कर ली जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सरदारगढ़ होगा। इस ठेके में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद का निपटारा एकल मध्यस्थ जो कि निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ द्वारा नियुक्त को निपटारा करने का अधिकार होगा। एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पञ्च निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक